

Bihar Electricity Regulatory Commission

SCHEDULE OF TARIFF RATES

For NBPDC and SBPDCL w.e.f. 1st April, 2014

Comparative Chart of Existing, Proposed and Approved Retail Tariff for FY 2014-15

| Sl No. | Category & Consumption | Existing Tariff Rates | | Proposed by NBPDC and SBPDCL | | Approved Tariff Rates by the Commission | |
|----------|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|--|
| | | Rate | | Rate | | Rate | |
| | | FC (Rs.) | EC (Ps./U) | FC (Rs.) | EC (Ps./U) | FC (Rs.) | EC (Ps./U) |
| A | Low Tension Supply | | | | | | |
| 1 | Kutir Jyoti | | | | | | |
| | K.J. Rural (Unmetered) | Rs. 55 | x | Rs. 200 | x | Rs. 55 | x |
| | K.J. Rural (Metered) | x | 160 MMC Rs. 40 | | 270 MMC Rs. 200/m/con | x | 1st 30U-160 remaining as per DS-I MMC Rs. 40 |
| | K.J. Urban (Metered) | x | 195 MMC Rs. 50 | | 300 MMC Rs. 300/m/con | x | 1st 30U-195 remaining as per DS-II MMC Rs. 50 |
| 2 | DS - I (Rural Single Phase upto 2kW) | | | | | | |
| | Unmetered | Rs. 160 | x | Rs. 350 | x | Rs. 160 | x |
| | Metered - | x | | x | | x | |
| | First 50 Units | x | 200 | | 350 | x | 200 |
| | 51 - 100 Units | x | 230 | | 350 | x | 230 |
| | Above 100 Units | x | 270 | | 350 | x | 270 |
| | MMC | x | 1st kW - 40U 2nd kW- 20U | | 1st kW - 100U 2nd kW- 40U | x | 1st kW - 40U 2nd kW- 20U |
| 3 | DS - II (Metered) | | | | | | |
| | Single Phase - Upto 7 kW | 1st kW Rs. 55 Addl. kW Rs.15 | | 1st kW Rs. 80 Addl. kW Rs.25 | | 1st kW Rs. 55 Addl. kW Rs.15 | |
| | Three Phase - 5kW and above | 5kW Rs. 250 Addl. kW Rs.15 | | 5kW Rs. 400 Addl. kW Rs.25 | | 5kW Rs. 250 Addl. kW Rs.15 | |
| | 1-100 U/Month | | 285 | | 650 | | 285 |
| | 101 - 200 U/Month | | 350 | | 650 | | 350 |
| | 201 -300 U/Month | | 420 | | 650 | | 420 |
| | above 300 U/Month | | 530 | | 650 | | 530 |
| | MMC | 1st kW 40 U addl. kW 20 U | | 1st kW 150U addl. kW 50 U | | No MMC | |
| 4 | DS-III Metered | | | | | | |
| | | Rs. 55/KW | All U 420 | Rs. 80 / kW/M | All U 650 | Rs. 55/KW | All U 420 |
| | MMC per Flat | 1st kW 40 U addl. kW 20 U | | 1st kW 150U addl. kW 50U | | 1st kW 40 U addl. kW 20 U | |
| 5 | Non Domestic | | | | | | |
| | NDS - I | | | | | | |
| | Unmetered | Rs. 220 | x | Rs. 400 | x | Rs. 220 | x |
| | Metered | x | | NIL | | x | |
| | 1-100 U/Month | x | 230 | | 400 | x | 230 |
| | 101 - 200 U/Month | x | 270 | | 400 | x | 270 |
| | above 200 U/Month | x | 350 | | 400 | x | 350 |
| | MMC per KW | MMC 50U/kW | | MMC 100U/kW | | MMC 50U/kW | |
| 6 | NDS - II (Metered) | | | | | | |
| | 1 - 7kW - Single Phase | Rs. 180/kW | | Rs. 325/kW | | Rs. 180/kW | |
| | 5kW and above -Three Phase | Rs. 200/kW | | Rs. 350/kW | | Rs. 200/kW | |
| | 1-100U/m | | 500 | | 775 | | 500 |
| | 101-200 U/m | | 530 | | 775 | | 530 |
| | above 200 U/m | | 570 | | 775 | | 570 |
| | MMC per kW | MMC 50U/kW | | MMC 120U/kW | | MMC 50U/kW | |

| SI No. | Category & Consumption | Existing Tariff Rates | | Proposed by NBPDC and SBPDCL | | Approved Tariff Rates by the Commission | |
|----------------|---|-------------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| | | Rate | | Rate | | Rate | |
| | | FC (Rs.) | EC (Ps./U) | FC (Rs.) | EC (Ps./U) | FC (Rs.) | EC (Ps./U) |
| 7 | NDS-III - | | | | | | |
| | Places of Worships | Rs. 80/kW min. 165/con/m | | Rs. 150/kW min. 450/con/m | | Rs. 80/kW min. 165/con/m | |
| | Energy Charge | | | | | | |
| | 1-100U/M | | 300 | | 800 | | 300 |
| | 101-200U/M | | 380 | | 800 | | 380 |
| | Above 200U/M | | 470 | | 800 | | 470 |
| | MMC per kW | MMC 50U/kW | | MMC 100U/kW | | MMC 50U/kW | |
| 8 | Irrigation & Agriculture | | | | | | |
| | (i) Pvt Tubewell IAS - I | | | | | | |
| | Unmetered Supply | | | | | | |
| | per HP per month | Rs.120 Rural | x | Rs.300/HP Rural | x | Rs.120 Rural | x |
| | per HP per month | Rs.160 Urban | x | Rs.400/HP Urban | x | Rs.160 Urban | x |
| | Metered Supply | | | | | | |
| | Units Rate - Paise / U | | 110 (Rural) 170 (Urban) | x | 265 (Rural) 400 (Urban) | | 110 (Rural) 170 (Urban) |
| | MMC HP/Month | Rs.85 Rural | Rs.130 Urban | Rs. 300/HP (Rural) Rs. 400/HP (Urban) | | Rs.85 Rural | Rs.130 Urban |
| | (ii) State Tubewell IAS - II | | | | | | |
| | Unmetered Supply | | | | | | |
| | per HP per month | Rs. 900 Rural | x | Rs. 1125 Rural | x | Rs. 900 Rural | x |
| | per HP per month | Rs. 1000 Urban | x | Rs. 1250 Urban | x | Rs. 1000 Urban | x |
| | Metered Supply | | 600 Rural 700 Urban | | 900 Rural 1000 Urban | | 600 Rural 700 Urban |
| | MMC HP/M | | 225 U/HP | 300U/HP | | | 225 U/HP |
| | 9 | Low Tension Industrial | | | | | |
| (i) LTIS - I | | 85/HP | All U 535 | 200/HP | All U 800 | 85/HP | All U 535 |
| MMC | | | 70U/HP/M | | 150U/HP | | 70U/HP |
| (ii) LTIS - II | | 110/HP | All U 570 | 250/HP | All U 850 | 110/HP | All U 570 |
| MMC | | | 100U/HP/M | | 200U/HP | | 100U/HP |
| 10 | Pubic Water Works | 205/HP | All U 700 | 325/HP | All U 1000 | 205/HP | All U 700 |
| | MMC | | 165 U/HP/M | | 300U/HP | | 165 U/HP |
| 11 | Street Light Services | | | | | | |
| | SS-I Metered Supply | x | All U 700 | x | All U 1000 | x | All U 700 |
| | MMC per KW (Unit) | GP - 160, NSC-220, MC-250 | | GP - 160, NSC-220, MC-250 | | GP - 160, NSC-220, MC-250 | |
| | SS-II Unmetered | | | | | | |
| | Fixed Charges | | | | | | |
| | Light Point Wattage per 100W per month (Rs.) | GP NAC Mun. Corp. | | GP NAC Mun. Corp. | | GP NAC Mun. Corp. | |
| | 270 360 440 | | 475 600 750 | | 270 360 440 | | |
| B | High Tension Supply | | | | | | |
| | | DC Rs./kVA/M | EC PS. / U | DC Rs./kVA/M | EC PS. / U | DC Rs./kVA/M | EC PS. / U |
| 12 | (i) HTS - I (11 / 6.6 kV) | 270 | 570 | 600 | 1000 | 270 | 570 |
| 13 | (i) HTS - II (33kV) | 270 | 550 | 600 | 975 | 270 | 550 |
| 14 | HTSS - III (132kV) | 270 | 540 | 600 | 950 | 270 | 540 |
| 15 | HTSS- (33kV/ 11kV) | 700 | 310 | 1300 | 675 | 700 | 310 |
| 16 | Railways | | | | | | |
| | (i) RTS - I (132kV) | 240 | 555 | 600 | 1000 | 240 | 555 |
| | (ii) RTS - II (25kV) | 240 | 570 | (i) Rebate 50 paise/U for higher voltage surcharge 50 paise for lower voltage | | 240 | 570 |

Bihar Electricity Regulatory Commission

Vidyut Bhawan-II, Bailey Road, Patna

Dated: 28th February, 2014

SALIENT FEATURES

- (1) True up of ARR and revenues of FY 2012-13 has yielded a surplus of Rs. 1273.24 crores including carrying cost for FY 2014-15.
- (2) The Commission has determined generation tariff at Rs. 3.79/kWh for units 6 and 7 of Barauni Thermal Power Station for FY 2014-15.
- (3) The Commission has also determined transmission tariff at Rs. 17 paise/kWh for FY 2014-15 for state transmission utility BSPTCL.
- (4) After considering the State Government grant and surplus of FY 2012-13, net revenue gap for FY 2014-15 is Rs. 102.60 crores.
- (5) Considering modest combined revenue gap of NBPDC and SBPDCL and effective steps taken for strengthening of distribution network, 100% metering and improved meter reading, billing, bill delivery and collection, it should be possible for them to meet the modest revenue gap.
- (6) **In view of the above, the Commission has decided NOT TO CHANGE THE TARIFF FOR DIFFERENT CATEGORIES OF CONSUMERS.**
- (7) The provision of MMC has been withdrawn for DS-II category.
- (8) The demand based tariff has also been made optional to single phase DS-II.
- (9) 10% premium for providing close to 24 hours of supply has been discontinued.
- (10) The existing rates of Miscellaneous Charges have been retained.
- (11) The existing rate of rebate for timely payment and the rate of the delayed payment surcharge have been retained.
- (12) The Commission has tried to protect revenue interest of the Discoms and also to ensure that the consumers are not subjected to tariff escalation.
- (13) **The tariff rates and its terms and conditions will be effective from 1st April, 2014.**



बिहार विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत भवन-2, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना

मुख्य विशेषतायें

- ☞ वित्तीय वर्ष 2012-13 में वार्षिक राजस्व आवश्यकता का वास्तविक व्यय रूपये 1273.24 करोड़ (कैरिंग कॉस्ट सहित) अतिरेक पाया गया है जो वित्तीय वर्ष 2014-15 में समाहृत है।
- ☞ आयोग ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के इकाई संख्या 6 एवं 7 के लिए जेनेरेशन टैरिफ रूपये 3.79/प्रति यूनिट की दर से निर्धारित किया है।
- ☞ आयोग ने बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए संचरण टैरिफ रू. 17 पैसे/प्रति यूनिट की दर से निर्धारित किया है।
- ☞ वित्तीय वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं अतिरेक पर विचार करते हुए वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए विशुद्ध राजस्व कमी 102.60 करोड़ रूपये है।
- ☞ नौर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा साधारण (modest) राजस्व कमी को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा वितरण नेटवर्क का सुदृढीकरण, शत प्रतिशत मीटर लगाने, विकसित मीटर रीडिंग पद्धति अपनाने, विपत्र बनाने, विपत्र वितरण एवं शुल्क संग्रह करने हेतु प्रभावशाली कदम उठाये गये हैं जिससे कि साधारण राजस्व कमी की प्रतिपूर्ति सम्भव हो सकेगा।

- ☞ ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपभोक्ताओं के विभिन्न श्रेणी के टैरिफ में कोई परिवर्तन नहीं किया जाय।
- ☞ घरेलू उपभोक्ता (डी.एस. ॥ श्रेणी) के लिए न्यूनतम मासिक शुल्क का प्रावधान वापस ले लिया गया है।
- ☞ सिंगल फेज डी.एस. ॥ श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए भी "मॉग आधारित टैरिफ" का एच्छिक प्रावधान किया गया है।
- ☞ 24 घंटा के आस-पास विद्युत उपलब्ध कराने हेतु विद्युत विपन्न पर 10 प्रतिशत प्रिमियम शुल्क लेने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
- ☞ वर्तमान विविध शुल्क को यथावत रखा गया है।
- ☞ विलम्ब से भुगतान हेतु सरचार्ज (डी.पी.एस.) एवं समय पर भुगतान करने हेतु छूट (रिबेट) जो वर्तमान में लागू है वह यथावत लागू रहेगा।
- ☞ आयोग ने एक तरफ वितरण कम्पनियों के राजस्व लाभ को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है तो दूसरी ओर यह भी सुनिश्चित किया है कि उपभोक्ताओं के टैरिफ में बढ़ोत्तरी न हो।
- ☞ नया विद्युत दर तथा नियम एवं शर्तें 1^{ली} अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगी।

.....X.....X.....X.....